न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–114/2026
(पंजीकरण संख्या–608/2026)
ध्रुवराज यादव पुत्र श्रीनाथ यादव
सा०मौ०–औजोसी, थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
मु०अ०सं०–310/2022
धारा–332, 353, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(v क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर।

दिनांक–19.03.2026

अभियुक्त/आवेदक द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.03.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त/आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे फर्जी ढंग से फंसाया गया है। आवेदक ग्राम प्रधान है, इसलिये रंजिशन वादी मुकदमा को मिलाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार (लेखपाल अजोसी) ने थाने पर तहरीर इस आशय की दिया कि दिनांक 17.11.2022 को दोपहर में जल मिशन योजना की जमीन चिन्हित करने हेतु ग्राम अजोसी में हनुमान मंदिर के मोड़ पर राजकुमार उर्फ कल्ले के दुकान के पास पहुँचा ही थी कि ग्राम प्रधान ध्रुवराज यादव और अन्य ग्रामीण भी उसके पास आ गये। ग्राम प्रधान द्वारा उसको गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे कि साले बी०एल०ओ गिरी कर रहे हो, चक मार्ग वगैरह कब मापोगे तथा धक्का–मुक्की पर उतारू हो गये तथा उसका उसका सरकारी बस्ता भी छीन लिये। वह किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा कि इतने में बलगहन प्रधानपति एवं संतोष मौर्या उसके बस्ते को लेकर दौड़ते हुए आये एवं उसको थमा दिये। बस्ता खोलकर देखा देखा तो सरकारी खसरा ग्राम अजोसी छतिग्रस्त एवं कई पन्ना फटा पाया गया। खसरा फसली सन् 1428 फ का था। उसको गाली देते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया कि चमार साले लेखपाली करते हो जान से मार दूँगा, बाल–बच्चे भूखे मरोगे। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना में अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 310/2022, धारा– 332, 353, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(v क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध इन्हीं दाण्डिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.19 15:50:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त ने सह – अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा, जो कि लोक सेवक है, को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने एवं उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने, गाली–गलौज दिये जाने, जान से मारने की धमकी दिये जाने एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने का अपराध किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा, जो कि लोक सेवक है, को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना, उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना एवं गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा – 41(क) दं०प्र०सं० की नोटिस तामील करायी गयी है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। थाना आख्यानुसार अभियुक्त का वर्तमान अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त ध्रुवराज यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसको निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य /साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509